न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 155/2025 (GCMS: **2025/231**)
राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा उम्र 45 साल, निवासी वार्ड नं. 2, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 88757–00726
फर्म/दुकान बजाज किरयाना हाउस, मैन रोड, गांव चूनावढ़

08.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोड़ा एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 10.04.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ गांव चूनावढ मेन मार्केट रोड़ स्थित दुकान बजाज किरयाना हाउस एवं इसके साथ की दुकान पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री विनोद कुमार पुत्र रामचन्द उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में परचून का सामान एवं ड्रम, कीप, माप आदि मिले। मौके पर दुकान में 09 बड़े ड्रम, 01 नल लगी हुयी बड़ी कैनी, 03 लोहे के माप, 02 लोहे की कीप, 01 हस्ताचलित पम्प मिला। मौके पर पूछने पर श्री विनोद कुमार ने समस्त सामग्री स्वयं की होनी स्वीकार की। मौके पर उपलब्ध 09 ड्रमों से माप करने पर 03 ड्रमों में कुल 570 लीटर पेट्रोल तथा शेष 06 ड्रमों में कुल 890 लीटर डीजल बरामद हुआ। मौके पर कुल 1460 लीटर (570 लीटर पेट्रोल तथा 890 लीटर डीजल) पेट्रोलियम पदार्थ बरामद हुआ। मौके पर विनोद कुमार ने पेट्रोल व डीजल के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। विनोद कुमार ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 [illegible] के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02(क्यू)(आर), 3(4)(6) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर जब्तशुदा अवैध 570 लीटर पेट्रोल, 890 लीटर डीजल, 01 हस्तचलित पम्प, 02 लोहे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 155 / 2025
सरकार बनाम विनोद कुमार
(GCMS No. 2025/231)
आदेश दिनांक 08.05.2026

कीप, 03 लोहे के माप (क्षमता 500 एमएल, 01 लीटर, 10 लीटर), 01 नल लगी कैनी, 09 प्लास्टिक ड्रमों के राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी विनोद कुमार के अधिवक्ता ने लिखित जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी दुकान बजाज किरयाना स्टोर का मालिक है एवं इसके चिपती दुकान मे किरयाने के सामान का गोदाम बना रखा है।

दुकान के साथ बने गोदाम में दो बड़े ड्रम, एक नल लगी बड़ी कैनी, लोहे के माप, लोहे की कीप व हस्तचलित पम्प मिला था। उपरोक्त सामान जो मिला है, वह किरयाने की दुकान पर सरसों के तेल की बिक्री के लिए रखा हुआ था और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। डीजल व पेट्रोल की कोई बिक्री अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थी दुकान के साथ साथ ट्रैक्टर–ट्रॉली को कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ किराये पर चलाने का कार्य व कृषि जिन्स गांव में उचन्ति खरीद कर श्रीगंगानगर में विक्रय करने का कार्य करता है जिसके लिए प्रार्थी ने अपना स्वयं का ट्रैक्टर एवं ट्रॉली, टैम्पू व मोटरसाईकिल भी रखा हुआ है तथा अपने स्वयं के प्रयोजनार्थ ही डीजल व पेट्रोल खरीद कर प्रार्थी लाया था ताकि बार–बार पेट्रोल पम्प पर न जाना पड़े और उक्त पेट्रोल और डीजल की कोई बिक्री प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर नहीं की जाती और न ही जांच रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित हैं कि बरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा कोई पेट्रोल या डीजल की बिक्री की जा रही थी।

अप्रार्थी से पेट्रोल 500 लीटर व डीजल 1460 लीटर जो मिला है, वह अपने स्वयं के उपयोग हेतु ही रखा हुआ था, उक्त सीमा तक पेट्रोल व डीजल का भण्डारण करने का प्रार्थी को अधिकार है।

जिला रसद अधिकारी द्वारा कोई सीज़र की कार्यवाही प्रार्थी की दुकान पर नहीं की गई, बल्कि प्रार्थी के मात्र खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गए थे। सम्पूर्ण कार्यवाही कार्यालय में बैठकर की गई है और न ही कोई सुपुर्दगी की कार्यवाही प्रार्थी के समक्ष की गई। विभाग ने जानबूझकर विधि विरूद्ध तरीके से कानून के विपरीत जाकर राजनैतिक दबाव के कारण झूठे [illegible] आधार पर यह प्रकरण बनाया जाकर प्रार्थी का डीजल [illegible] किया गया है। इसलिए प्रार्थी का जब्तशुदा पेट्रोल [illegible] बिक्री के लिए रखा हुए कीप व पम्प प्रार्थी को लौटाए जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:23 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 10.04.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी विनोद कुमार की दुकान

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 155/2025
सरकार बनाम विनोद कुमार
(GCMS No. 2025/231)
आदेश दिनांक 08.05.2026

एवं गोदाम पर पहुंचे तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

अप्रार्थी जानबूझकर पेट्रोल एवं डीजल के स्थान पर सरसों का तेल बेचान करना बता रहे है कि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को इस बात का ज्ञान नहीं है कि एफ.एस.एस.ए.आई. के नियमों के अनुसार खुला सरसों को तेल खरीदना या बेचना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा अवैध 570 लीटर पेट्रोल, 890 लीटर डीजल, 01 हस्तचलित पम्प, 02 लोहे की कीप, 03 लोहे के माप (क्षमता 500 एमएल, 01 लीटर, 10 लीटर), 01 नल लगी कैनी, 09 प्लास्टिक ड्रमों को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 10.04.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु गांव चूनावढ़ मेन मार्केट रोड़ स्थित दुकान बजाज किरयाना हाउस एवं इसके साथ की दुकान पर पहुंचे। तो मौके पर विनोद कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर दोनों दुकानों एवं गोदाम में अवैध 570 लीटर पेट्रोल, 890 लीटर डीजल, 01 हस्तचलित पम्प, 02 लोहे की कीप, 03 लोहे के माप (क्षमता 500 एमएल, 01 लीटर, 10 लीटर), 01 नल लगी कैनी, 09 प्लास्टिक ड्रमों को जब्त किया गया। विनोद कुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा मे अवैध 570 लीटर पेट्रोल, 890 लीटर डीजल, 01 हस्तचलित पम्प, 02 लोहे की कीप, 03 लोहे के माप (क्षमता 500 एमएल, 01 लीटर, 10 लीटर), 01 नल लगी कैनी, 09 प्लास्टिक ड्रमों को राजसात करने की प्रार्थना की है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:23 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:-

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी **"विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500** लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के **भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से** 570 लीटर पेट्रोल, 890 लीटर डीजल **का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम** उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इस प्रकार अप्रार्थी विनोद कुमार के कब्जे से उसकी दुकान में 570 लीटर पैट्रोल, 890 लीटर डीजल एवं अन्य सामग्री बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी विनोद कुमार के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान करने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 का स्पष्ट** उललंघन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्त उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 155 / 2025
सरकार बनाम विनोद कुमार
(GCMS No. 2025/231)
आदेश दिनांक 08.05.2026

> 2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or cousumer to another dealer or cousumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order
>
> 2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provesion of ths order, under the control of dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company.
>
> 3(4) **No person other than the dealer or oil company shall be engaged in the business of selling product**.
>
> 3(6) **No dealer, transporter, consumer or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractice**.
>
> 4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

उक्त के अतिरिक्त विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश, 2000 का बिन्दु संख्या 12(2) पृष्ठ संख्या 187–188 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलिमय वर्ग क, 2500 लीटर अविपुट पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और [illegible] में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है, इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License)

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 890 लीटर डीजल एवं 570 लीटर पेट्रोल का "भण्डारण एवं बेचान" करते जब्त किया गया हैं। अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब के साथ किसी प्रकार का कोई प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 890 लीटर डीजल एवं 570 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 890 लीटर डीजल एवं 570 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 890 लीटर डीजल एवं 570 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:23 IST
Reason: SelfAttested